

देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड भंग

चर्चा में क्यों?

30 नवंबर, 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् अधिनियम को नरिस्त कर देवस्थानम् बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड को भंग करने का नरिणय इससे संबंधति गठति उच्च स्तरीय समतिवि मंत्रमिडलीय उपसमतिद्वारा 29 नवंबर, 2021 को सौपी गई रपौरट के आधार पर लयिा गया है। आगामी वधिनसभा सत्र में इस अधनियम को वापस लयिा जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि 27 नवंबर, 2019 को तत्कालीन सरकार के कैबिनेट ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन वधियक को मंजूरी दी थी और 5 दसिंबर, 2019 को इस वधियक को वधिनसभा में पास कयिा था तथा 13 जनवरी, 2020 को राज्यपाल द्वारा अनुमति दी गई और 15 जनवरी, 2020 को सरकार ने इसकी अधसूचना जारी की।
- देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड के अंतरगत चारधाम- बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री तथा इनसे संबद्ध मंदरिों सहति कुल 51 मंदरि लाए गए। इस बोर्ड का कार्य इन मंदरिों की देख-रेख, आय-व्यय सृजन और वभिन्नि कार्यों का प्रबंधन करने के साथ अन्य सुवधिएँ प्रदान करना था।
- इस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष धर्मस्थ व संस्कृति मंत्री बनाए गए थे। वही गढ़वाल में मंडलायुक्त रवनाथ रमन को बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया था।